न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय	**Page 1 of 1.**	**स्वत्व वाद सं0-1180/13**
अवर न्यायाधीश		**सीआईएस संख्या -79/17**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।	**आदेश**	**दिनांक 19.1.2024**

दिनांकः 19.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 01.12.2023 को आदेश 22 नियम 4, 9 तथा धारा 151व्यवहार प्रकिया संहिता में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी सं0 1 रूदल साह दिनांक 11.02.2022 और प्रतिवादी 03 सूरज साह 18.06.2021 को मर गए । यह कि अर्जी दावी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 11 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 रूदल साह दिनांक 11.02.2022 और प्रतिवादी 03 सूरज साह 18.06.2021 को मर गए । यह कि अर्जी दावी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। मामले में आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है आवेदन विलंब से दिया गया है अतः न्यायालय न्यायहित में एक हाजार रूपये खर्चे जो अरेराज न्यायालय में जमा किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** करते हुए न्यायालय आदेश देती है कि मृत प्रतिवादी का नाम कलमजद किया जाए और आवेदन पत्र में वर्णित प्रतिवादी के वारिसों को प्रतिवादी सं0 1 सिरिज तथा प्रतिवादी सं0 3 के सिरिज के रूप में कमवार प्रस्थापित करें। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।